न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07/2021 **दायर दिनांकः 18/01/2021**

उनवान

1. रविन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी कलमण्डा तह0 बारां जिला बारां (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>
<u>एंव इन्द्राज दुरस्ती करवाने बाबत</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाक : 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 41 का ख0नं0 111 का रकबा 1.55 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.55 है0 आराजी प्रार्थी के शामलाती दर्ज खाता चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता रामकरण के स्थान पर इन्तकाल दर्ज करते समय अप्रार्थी के द्वारा व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम रविन्द्र पुत्र रामकरण के स्थान पर रविन्द्र पुत्र रामचरण गलत दर्ज कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी रविन्द्र पुत्र रामचरण को रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दुरस्त करवाकर रविन्द्र पुत्र रामकरण करवाने का अधिकारी है। क्योंकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकरण है। प्रार्थी के सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी सही नाम रविन्द्र पुत्र रामकरण दर्ज है। प्रार्थना पत्र के

साथ प्रार्थी का जन आधार, वोटर आई0डी0, आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो काफी संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी द्वारा किये गये गलत नाम को रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दुरस्त नही करवाया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम रविन्द्र पुत्र रामचरण के स्थान पर सही नाम रविन्द्र पुत्र रामकरण दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम एंव माल ढोटी की खाता संख्या 41 का ख0नं0 111 का रकबा 1.55 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.55 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम रविन्द्र पुत्र रामचरण के स्थान पर सही नाम रविन्द्र पुत्र रामकरण दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 ग्राम एंव माल ढोटी की खाता संख्या पुराना 41 नया 584 का ख0नं0 111 का रकबा 1.55 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.55 है0 में रविन्द्र कुमार पुत्र रामचरण का नाम शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार मीणा व उसके पिता का नाम राम करण दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रविन्द्र कुमार व उसके पिता का नाम रामकरण दर्ज है। ग्राम पंचायत कलमण्डा पं0स0 बारां के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकरण है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की पुराना खाता संख्या 41 नवीन खाता संख्या 584 का ख0नं0 111 का रकबा 1.55 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.55 है0 में सहखातेदार रविन्द्र कुमार पुत्र रामचरण के स्थान पर रविन्द्र कुमार पुत्र रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां